रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052021-227153
CG-DL-E-24052021-227153

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2021/ज्येष्ठ 3, 1943
No. 274] NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2021/JYAISTHA 3, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2021

सा.का.नि. 340(अ).—जबकि, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) ने ईंटों के विनिर्माण हेतु ऊपरी (सतही) मृदा के उत्खनन को प्रतिबंधित करने और विभिन्न प्रयोजनों के लिए कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित फ्लाई-ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (v) और धारा 5 के अधीन सं. का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 1999 जारी किया था।

जबकि, केंद्रीय सरकार ने कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों और अन्य से 300 किलोमीटर के अंदर नए लाल मिट्टी के ईंट भट्टों को निषिद्ध करने के संबंध में मूल अधिसूचना से प्रभावित होने वाली संभावित जनता के सूचनार्थ और केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए आपत्ति या सुझाव प्राप्त करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (v) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 157 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2019 के द्वारा मूल अधिसूचना में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था।

और जबकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कोयला या लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई-ऐश का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के उद्देश्य से अधिसूचना को समेकित करने के लिए मूल अधिसूचना सं.का.आ. 763 (अ), तारीख, 14 सितम्बर,1999 और इसके पश्चातवर्ती संशोधनों के पुनरीक्षण पर विचार कर रहा है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खण्ड (v) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 157 (अ), तारीख 25 फरवरी, 2019 का विखंडन करती है।

[फा. सं. 09/01/2019-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2021

G.S.R. 340(E).—Whereas the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (erstwhile Ministry of Environment and Forests) vide number S.O.763(E) dated the 14th September, 1999 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) for restricting the excavation of top soil for manufacturing of bricks and promoting utilisation of fly ash generated from coal or lignite based thermal power plant for various purposes.

Whereas, the Central Government proposed amendments to the principal notification *vide* notification number G.S.R.157(E), dated the 25th February, 2019 under the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), regarding prohibition of new red clay brick kilns within 300 kilometers from coal or lignite based thermal power plants and others, for information of the public likely to be affected by it and for obtaining objections or suggestions for consideration by the Central Government.

And whereas, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is considering the revision of the principal notification number S.O.763(E), dated the 14th September, 1999 and its subsequent amendments for consolidating the notification in the interest of effective fly ash utilisation by the coal or lignite based thermal power plants.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 and section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India, in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, number G.S.R.157(E), dated the 25th February, 2019.

[F.No.09/01/2019-HSMD]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.05.24 20:56:46 +05'30'